



विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना आदर्श रूपरेखा— राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

खंड 1 : प्रस्तावना :

- क. विद्यालय का विवरण {अनुबंध-1 में संलग्न आरूप (फार्मेट)}।
- ख. योजना का लक्ष्य तथा उद्देश्य।
- ग. विद्यालय की भौगोलिक अवस्थिति।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

- योजना के इस खंड में अनुबंध-1 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विद्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें योजना के उद्देश्य, हितधारक जो इस योजना का उपयोग करेंगे और सदस्य जो योजना के क्रियान्वयन समीक्षा तथा अद्यतन के लिए उत्तरदायी होंगे, का भी उल्लेख होना चाहिए।
- इस खंड में विद्यालय का मानचित्र भी शामिल किया जा सकता है।

खंड 2 : विपदा जोखिम तथा असुरक्षितता आकलन

- क. गैर-संरचनात्मक आकलन (इस आकलन को व्यावहारिक रूप में सभी अध्यापकों तथा चुने गए विद्यार्थियों द्वारा एक समूह अभ्यास में किया जा सकता है)।
- ख. संरचनात्मक आकलन (इसको किसी सिविल इंजीनियर, लाइसेंस-प्राप्त भवन (बिल्डिंग) सर्वेक्षक द्वारा किया जाना है)।
- ग. विद्यालय के परिसर के बाहर विपदाओं को पहचानना (सड़क सुरक्षा, औद्योगिक विपदा, रासायनिक विपदा, खुले नालों का ऊपर तक भर जाना आदि)।
- घ. उन आपदाओं/दुर्घटनाओं जिन्होंने विद्यालयों को प्रभावित किया, का डेटाबेस।
- ङ. विद्यालय परिसर के भीतर स्थित असुरक्षित स्थानों की पहचान करना।
- च. प्रशमन के लिए मुख्य निष्कर्षों और कार्यों के निर्धारण संबंधी विवरण का सार।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

योजना के इस खंड में सारा ध्यान संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक तत्वों के कारण उत्पन्न हुए संभावित जोखिमों तथा विद्यालय की बिल्डिंग के अन्दर स्थित विभिन्न असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने पर दिया जाएगा।

विद्यालय की बिल्डिंग में गैर-संरचनात्मक तथा संरचनात्मक कमियों को दूढ़ने के लिए, विद्यालय प्रशासन (शारीरिक शिक्षा अध्यापक सहित), निकटतम दमकल केंद्र (फायर स्टेशन) से अधिकारी/सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल/नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर/नर्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ता), निकटतम पुलिस थाने से अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), एसएसए से इंजीनियर, नगर निगम/जिला परिषद के सदस्यों के साथ एक समिति गठित की जा सकती है जो बिल्डिंग में गैर-संरचनात्मक तथा संरचनात्मक कमियों को दूढ़ने में मदद करेंगे। इसी प्रकार यह

समिति विद्यालय परिसर के बाहर संभावित विपदा की पहचान भी कर सकती है विशेषतः विद्यालय की बिल्डिंग के बाहर सड़क/यातायात (ट्रैफिक) से जुड़े जोखिम, उद्योग जोखिम (रासायनिक विपदा) जो विद्यालय के आसपास खतरनाक उद्योग के स्थित होने के कारण हो सकते हैं।

विपदा के कारणों को दूढ़ने की यह गतिविधि कुछ स्पष्ट जोखिमों की पहचान करने में मददगार होगी जैसे विद्यालय में बिजली के पैनल की गलत जगह पर फिटिंग, खुले बिजली के पैनल, नंगी तारें यदि कोई हों, अलमारी तथा फर्नीचर का गलत जगह पर रखा होना, आपदा से विद्यालय में बचने के लिए बाहर निकलने के रास्ते में रूकावट अथवा ऐसी कोई वस्तु जो भूकंप के दौरान गिर सकती है जैसे ग्लास पैनल, गमला आदि।

योजना के इस खंड में पूर्व में घटित किसी आपदा से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं अथवा उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जा सकता है जिसने विद्यालय अथवा उसके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया हो।

खंड 3 : आपदा से निपटने की तैयारी

योजना के इस खंड में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए :

- क. विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, प्रमुख दल (कोर टीम) का संघटन तथा आपदा के विभिन्न चरणों के दौरान समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व।
- ख. उप समूह का गठन तथा आपदा के पहले, उसके दौरान तथा आपदा के बाद प्रत्येक टीम/कार्य बल की भूमिका तथा उत्तरदायित्व की पहचान। विद्यालय में निम्नलिखित टीम/कार्य बल बनाये जाएंगे।
 - i. जागरूकता सृजन, चेतावनी तथा सूचना प्रचार-प्रसार टीम।
 - ii. सुरक्षित निकास टीम।
 - iii. खोज तथा बचाव टीम (इस टीम के सदस्य केवल अध्यापक होंगे)।
 - iv. अग्नि सुरक्षा टीम।
 - v. प्रथम उपचार टीम।
 - vi. बस सुरक्षा टीम (प्रत्येक बस के लिए)—जहाँ भी लागू हो।
 - vii. स्थल सुरक्षा टीम।

मार्गदर्शन टीम :

योजना के इस खंड में सारा ध्यान आपदा से निपटने की तैयारी पर दिया जाएगा। आपदा से निपटने के लिए तैयारी के उच्चतर स्तर से जान को होने वाली हानि को कम करने तथा लोगों को लगने वाली चोटों की रोकथाम करने में मदद मिलती है, खास तौर पर भूकंपों के दौरान जिनके लिए कोई चेतावनी नहीं होती है। तथापि, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी कुछ अन्य विपदाओं के मामले में पूर्व चेतावनी प्रणाली मौजूद होती है जिसके द्वारा कार्रवाई करने के लिए कुछ समय प्राप्त हो जाता है। बच्चों जो आने वाले कल का भविष्य हैं, को शिक्षा हेतु एक सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कराना और उनको आपदा से कारगर ढंग से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। इस बात को व्यवहार में लाने के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक विद्यालय में आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी और कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए एक विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के साथ-साथ उप

समितियाँ भी गठित की जानी चाहिए। एक विद्यालय में गठित विभिन्न समितियों में सदस्य अध्यापकों, गैर-अध्यापन स्टाफ के साथ-साथ छात्रों में से भी लिए जाएंगे। तथापि, कुछ समितियों जैसे खोज तथा बचाव समिति, में छात्रों को लेने की सिफारिश नहीं की गई है। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसित रूपरेखा निम्नानुसार है :

1. अध्यक्ष : प्रधानाचार्य
2. उप प्रधानाचार्य, प्राइमरी तथा मिडिल क्लासों के प्रमुख
3. क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
4. अभिभावक शिक्षक संघ अध्यक्ष
5. 4 छात्र (एनसीसी, एनएसएस, स्काउट तथा गाइड, हेड ब्याय तथा हेड गर्ल)
6. राहत/राजस्व/आपदा प्रबंधन विभाग/जिला प्रशासन/नगर निगम के प्रतिनिधि
7. अग्नि-शमन सेवाओं के प्रतिनिधि (निकटतम दमकल केंद्र से) अथवा नागरिक रक्षा कार्मिक
8. पुलिस के प्रतिनिधि (निकटतम पुलिस थाने से)
9. स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि (स्थानीय डॉक्टर)
10. सिविल डिफेंस से एक वार्डन

नीचे उल्लिखित उप-समितियाँ विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करेंगी। निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया जा सकता है :

- जागरूकता सृजन, चेतावनी तथा सूचना प्रचार-प्रसार टीम।
- सुरक्षित निकास टीम।
- खोज तथा बचाव टीम (इस टीम के सदस्य केवल अध्यापक होंगे)।
- अग्नि सुरक्षा टीम।
- प्रथम उपचार टीम।
- बस सुरक्षा टीम (प्रत्येक बस के लिए)।
- स्थल सुरक्षा टीम।

प्रथम उपचार और स्थल सुरक्षा टीम के लिए, निकटतम पुलिस केंद्र, पुलिस थाना, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं तथा दमकल केंद्र के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। आपदा के साथ-साथ शांतिकाल के दौरान इन समितियों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. संसाधन माल-सूची

- i. विद्यालय परिसर के अंदर उपलब्ध संसाधनों जिनका उपयोग आपदा की स्थिति के दौरान कारगर कार्रवाई के लिए किया जा सकता है, की सूची।
- ii. एक-पाँच किलोमीटर के अंदर स्थित विद्यालय के बाहर संसाधनों की पहचान तथा सूची बनाना।
 - क) आपातकालीन इलाज के लिए निकटतम अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र।
 - ख) पुलिस थाना।
 - ग) दमकल केंद्र (फायर स्टेशन)।

- iii. प्रधानाचार्य कक्ष में महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों को अद्यतन करना (अपडेशन)।
- iv. विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे की गंभीर स्वास्थ्य समस्या रिकार्ड का रखरखाव करना और इसे बच्चे के पहचान-पत्र (आई-कार्ड) पर उसके रक्त समूह के साथ उसके अभिभावक/संरक्षक अथवा वैकल्पिक संपर्क व्यक्तियों के अद्यतन संपर्क ब्यौरों सहित प्रदर्शित करना।
- v. आपदा से निपटने की तैयारी संबंधित जाँच-सूची (अनुबंध-II में संलग्न)
- घ. छात्रों तथा अध्यापकों को विद्यालय के समय के दौरान चेतावनी देने के लिए प्रक्रम (मकैनिज्म) जिसमें अलार्म का लगाया जाना शामिल है।
- ङ. उचित स्थान पर सुरक्षित निकास (इवैक्युएशन) योजना सहित विद्यालय का मानचित्र (अनुबंध-III में संलग्न)
- च. विभिन्न तैयारी कार्यकलापों के संचालन के लिए इनको लागू करने की योजना सहित वार्षिक कलैण्डर। इसमें प्रतिवर्ष विद्यालय द्वारा संचालन किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता सृजन कार्यक्रमों की सूची शामिल होगी।
- छ. कृत्रिम अभ्यासों के संचालन के लिए कार्य योजना और इनमें कमियों को दूर करने के लिए एक जाँच-सूची को तैयार करना।
- ज. आपदा प्रबंधन योजना का इसकी समय-सीमा तथा इसमें अध्यापकों तथा अन्य गैर-अध्यापन स्टाफ की भूमिकाओं के साथ इसको किए जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए आपदा प्रबंधन योजना के अद्यतन कार्य हेतु अपेक्षित कदम।

संसाधन की माल-सूची हेतु मार्गदर्शन टिप्पणी :

आपदा से निपटने की तैयारी के अभ्यास के भाग के रूप में, प्रत्येक विद्यालय को अनिवार्य रूप से एक विद्यालय आपदा प्रबंधन किट तैयार करनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि आपातकाल में मदद के लिए निकटतम अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्यकर्ता के साथ विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक नेटवर्क की स्थापना की जाए, विद्यालय आपदा प्रबंधन किट के लिए खरीदने हेतु मदों की प्रस्तावित सूची नीचे दी गई है। तथापि, यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में इस संसाधन सूची में और बढ़ोतरी के लिए अन्य बाहरी संसाधन (राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान जैसे एमपीएलएडी/एमएलएलएडी आदि) के लिए प्रावधान होना अनिवार्य है।

- i. स्ट्रेचर।
- ii. सीढ़ियाँ (लैडर)।
- iii. मोटी रस्सी।
- iv. टॉर्च।
- v. प्रथम उपचार बक्सा।
- vi. स्थायी शरण व्यवस्था (तम्बू तथा तिरपाल)।
- vii. रेत की बाल्टियाँ।
- viii. आग बुझाने वाले यंत्र (फायर एक्सटिंगुशर्स)।

विद्यालय आपदा प्रबंधन किट का प्रावधान।

सुरक्षित निकास योजना सहित विद्यालय मानचित्र

यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक तल के लिए एक सुरक्षित निकास योजना तैयार की जाए और उसे प्रमुखता से प्रत्येक तल (फ्लोर) के नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जाए। सुरक्षित निकास योजना पर सुरक्षित निकास टीम द्वारा अध्यापकों तथा छात्रों के साथ चर्चा की जाए ताकि कृत्रिम अभ्यास संचालन में मदद के

लिए उनके बीच जागरूकता पैदा की जा सके। (संदर्भ के लिए एक नमूना सुरक्षित निकास मानचित्र अनुबंध-III में संलग्न है।

कृत्रिम अभ्यास हेतु मार्गदर्शन टिप्पणी

कृत्रिम अभ्यास आपदा से निपटने की तैयारी योजना से संबंधित बातों की सूची तैयार करने का एक उपाय है। भूकंप, आग से बचाव आदि पर कृत्रिम अभ्यास कुछ अवधियों मुख्यतः हर छह महीनों में एक बार, के अंतर पर किया जा सकता है और योजना के अद्यतन (अपडेशन) के लिए अभ्यास की कमियों का आकलन किया जा सकता है। योजना के इस खंड में कृत्रिम अभ्यासों के संचालन के लिए अपनाए जाने वाले कदमों तथा अध्यापकों, गैर-अध्यापन स्टाफ तथा छात्रों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि जरूरत हो तो विद्यालय को सहायता के लिए अग्नि शमन सेवा अधिकारियों तथा प्रशिक्षित सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों को आमंत्रित करना चाहिए। भूकंप पर अभ्यास के लिए अपनाए जाने वाले कुछ कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है।

भूकंप अभ्यास :

- i. झुको, ढको तथा पकड़ो का अभ्यास।
- ii. बिना धक्का-मुक्की किए तथा गिरे, एक मिनट से कम समय में कक्षा को खाली करना।
- iii. बाहर निकलने के विभिन्न रास्तों का उपयोग करते हुए चार मिनट से कम समय में विद्यालय से बाहर निकलना।
- iv. अपने मित्रों की तलाश करना।
- v. कमजोर इलाकों/टूटी-फूटी इमारतों से दूर रहना।
- vi. उनकी मदद करना जिन्हें सहायता की जरूरत है (विकलांग बच्चों के बचाव के लिए अग्रिम में कार्य बल के सदस्यों को तय करना)।

आग/रासायनिक दुर्घटना से बचाव के लिए अभ्यास :

- i. कक्षा से सुरक्षित बाहर निकलना।
- ii. ज्वलनशील द्रव/रसायन के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करना।
- iii. बिजली के स्विचों को बंद करना तथा गैस कनेक्शनों को हटाना अथवा बंद करना।

ज. क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण :

छात्रों तथा अध्यापकों का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्य आपदा की स्थिति में विद्यालय जाने वाले समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रति वर्ष, उचित संख्या में अध्यापक तथा छात्रों को आपदा प्रबंधन के उपायों से संबंधित विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

अध्यापकों, गैर-अध्यापन स्टाफ तथा छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य योजना में सभी कार्य बलों का गठन कार्य तथा रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन भी शामिल किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों तथा छात्रों के ब्यौरों का दस्तावेज तैयार करना भी शामिल किया जा सकता है।

झ. जागरूकता सृजन तथा सुग्राहीकरण (सेंसटाइजेशन) :

जागरूकता सृजन/सुग्राहीकरण आपदा से निपटने की तैयारी के उपायों का एक हिस्सा है जिसका लक्ष्य जिनमें छात्र, अध्यापक तथा अधिकारी/अभिभावक सहित सभी हितधारकों और विद्यालय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति सुग्राहीकरण तथा उन पर शिक्षा प्रदान करना है। यह प्रस्ताव किया गया है कि छात्र/अध्यापक आदि की संलिप्तता वाले विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल करके ऐसे कार्यक्रमों का एक वार्षिक

कलैण्डर तैयार किया जाए और उन कार्यक्रमों में बाहर के विशेषज्ञों को भी विद्यालय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जाए।

जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जा सकने वाले कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

- क. विद्यालयों में पोस्टर, ऑडियो-विजुअल क्लिप, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, खेल क्रियाकलाप, चित्रकारी प्रतियोगिता, रैली के आयोजन के माध्यम से।
- ख. विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर महत्वपूर्ण सूचना को प्रदर्शित करना जिसमें विद्यालय से सुरक्षित निकास की योजना तथा मौसम के हाल संबंधी अखबार की कतरन को लगाया जाना शामिल है।
- ग. शिक्षा के वातावरण को सुरक्षित बनाने पर सम्मेलन तथा भाषणों का आयोजन करना और ऐसे सम्मेलनों में अभिभावकों को शामिल करना।
- घ. विद्यालय के वार्षिक कलैण्डर में किसी एक महीने को आपदा से निपटने के लिए तैयारी मास के रूप में मनाना।

खण्ड 4 : कार्रवाई :

- क. विपदा-विशिष्ट कार्रवाई योजना जिसमें वार्षिक समारोह, खेल दिवस आदि जैसे विशेष दिनों पर भगदड़ से बचने के लिए भीड़ का प्रबंधन शामिल है।
- ख. विद्यालय शिक्षा को जारी रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम। (आपदा के दौरान तथा बाद में शिक्षा को प्रदान किया जाना, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ विद्यालय का राहत शिविरों के रूप में उपयोग किया जाएगा।)
- ग. सरकार को आपातस्थिति/आपदाओं की रिपोर्ट देना।
- घ. विकलांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

योजना का यह खंड बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें आपदा की स्थिति के दौरान अध्यापक, गैर-अध्यापन स्टाफ तथा छात्रों की विभिन्न भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को दर्शाया गया हो। योजना में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि भूकंप, आग, बाढ़, चक्रवात अथवा भगदड़ या किसी छात्र द्वारा झेली जा रही स्वास्थ्य समस्याओं जैसी किसी आपातिक स्थिति के मामले में क्या कदम उठाए जाएं। योजना में विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी कदम शामिल होने चाहिए जिनमें प्रभावित स्थल से बच्चों को सुरक्षित निकाले जाने से लेकर उनको उनके अभिभावकों को सौंपना शामिल है। इस योजना में विद्यालय में किसी आपदा के दौरान अथवा इसके तुरंत बाद बिजली, पानी तथा भोजन, प्रारंभिक प्रथम उपचार जैसी अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले सभी अन्य कदम शामिल हैं।

खंड 5 : प्रशमन उपाय :

- क. विद्यालय द्वारा एक समय-सीमा में किए जाने वाले विभिन्न गैर-संरचनात्मक उपायों की सूची बनाना।
 - i. सुरक्षित निकास, सीढ़ियों को सुनिश्चित करना जिनका आपदा के दौरान सुरक्षित निकास मार्ग के रूप में उपयुक्त किया जाना है।

- ii. रसायन प्रयोगशाला-रसायनों के भंडारण के लिए उपयोग की गई बोतलों को सुरक्षित रखा गया है और उन्हें टूट-फूट से बचा कर रखा गया है।
- iii. अलमारियों को स्टाफ रूम की दीवारों के साथ भली-भाँति फिक्स किया गया है।
- iv. पंखों तथा बिजली-तारों आदि को सीलिंग से भली-भाँति जोड़ना।
- v. अग्नि सुरक्षा उपाय।

ख. सुरक्षा की जाँच (सेफ्टी ऑडिट)

- i. बिजली-मकैनिक द्वारा बिजली के तारों आदि की सुरक्षा जाँच करना।
- ii. विद्यालय के अंदर आग लगने के संभावित स्रोतों तथा ज्वलनशील चीजों की पहचान करके उनकी अग्नि सुरक्षा संबंधित जाँच करना।
- iii. दोपहर के भोजन के दौरान दिए गए खाने (मिड-डे मील) की गुणवत्ता की जाँच-पड़ताल करना।
- iv. विद्यालय में जलापूर्ति की शुद्धता की जाँच करना।
- v. रसोई तथा शौचालयों में सफाई की स्थिति की जाँच करना।

मार्गदर्शन टिप्पणी :

योजना के इस खंड में सारा ध्यान विद्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रशमन उपायों पर रखा जाएगा। प्रशमन की योजना बनाना एक दीर्घवधिक प्रक्रिया है और इसलिए निश्चित समय-सीमा में कार्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर रणनीति को हिस्सों में बाँटना अनिवार्य है। यह भी जरूरी है कि आपदा के खतरे की प्रकृति और आपदा द्वारा मनुष्य की जान को हानि पहुँचाने तथा उसको चोट पहुँचाने की क्षमता के आधार पर कार्यों की प्राथमिकता बनाई जाए। कुछ गैर-संरचनात्मक उपाय जैसे अलमारियों को दीवार के साथ फिक्स करना, बाहर निकलने के मार्गों को बाधा-रहित बनाना, प्रयोगशाला के सामान के भंडारण की उचित व्यवस्था, चेतावनी-अलार्म को लगाने का कार्य तुरंत मामूली लागत पर किया जा सकता है, कुछ अन्य प्रशमन उपाय जैसे बड़ी इमारतों के मरम्मत कार्य, के लिए अधिक समय तथा फंड की जरूरत होगी।

प्रशमन कार्रवाई के भाग के रूप में, विद्यालय द्वारा आवधिक आधार पर अग्नि सुरक्षा तथा विद्युत्, सुरक्षा के लिए विद्युत् विभाग/बोर्ड, अग्नि-शमन सेवाओं, पीडब्ल्यूडी आदि के अधिकारियों की मदद से सुरक्षा जाँच भी कराई जानी चाहिए। अन्य उपाय जैसे विद्यालय में पीने के पानी की शुद्धता की जाँच तथा सफाई की स्थिति की देख-रेख आदि का काम भी किया जाना चाहिए।

विद्यालय की रूपरेखा का विवरण

1. विद्यालय का नाम तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया गया कोड नम्बर।
2. पिन कोड सहित डाक पता।
3. संपर्क नम्बर।
4. अध्यापकों की संख्या - पुरुष _____ महिला _____
5. छात्रों की संख्या - बालक _____ बालिका _____
6. विकलांग छात्रों की संख्या बालक _____ बालिका _____
7. विकलांगता की किस्म को दर्शाएं -
8. विद्यालय की बिल्डिंग के निर्माण की तिथि -
9. विद्यालय के कंपाउंड में बिल्डिंगों की संख्या -
10. कक्षाओं की संख्या -
 - रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या
 - भौतिकी की प्रयोगशालाओं की संख्या
 - जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं की संख्या
11. तलों की संख्या -
12. सीढ़ियों की संख्या -
13. क्या आपके विद्यालय में रसोई है ? हाँ/नहीं -----
यदि हाँ तो क्या रसोई में गैस चूल्हा है अथवा खुले में खाना बनाते हैं अथवा विद्यालय में कुकिंग गैस का कनेक्शन है -
14. क्या इनके लिए विद्यालय में अलग शौचालय है - छात्र-हाँ/नहीं छात्राएं-हाँ/नहीं
15. पीने के पानी के नलों की संख्या -
16. खेलने के मैदान (प्लेग्राउंड) का आकार और खुला क्षेत्र -
17. विद्यालय में स्थापित आग बुझाने वाले यंत्र -
 - यदि हाँ तो आग बुझाने वाले यंत्रों की संख्या -
 - वह तारीख जब उनको अंतिम बार जाँचा गया -
18. विद्यालय में रखी गई रेत की बाल्टियों की संख्या -
19. क्या सुरक्षित निकास संबंधी अभ्यास आयोजित किया गया - हाँ/नहीं
यदि हाँ तो वह अंतिम तिथि बताएं जब अभ्यास संचालित किया गया और उसमें भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बताएं -

(प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर)

आपातकालीन प्रबंधन योजना जांच-सूची

विद्यालय का नाम एवं स्थान.....

तिथि:.....

- | | हाँ |
|--|--------------------------|
| 1. क्या संबंधित विभागों से आपातकालीन नम्बरों की पुष्टि कर ली गई है | <input type="checkbox"/> |
| 2. क्या प्रधानाचार्य कक्ष में आपातकालीन नम्बरों को प्रमुखता से दर्शाया गया है | <input type="checkbox"/> |
| 3. क्या योजना में सरकारी सेवाओं तथा संबंधित शिक्षा प्राधिकरणों को आपातस्थिति की सूचना देने के लिए प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख है ? | <input type="checkbox"/> |
| 4. क्या पहचान किए गए कार्य-स्थल से एक किलोमीटर के भीतर और उतनी दूरी तक आपदा के संभावित जोखिम मौजूद हैं ? | <input type="checkbox"/> |
| 5. क्या योजना में सुरक्षित निकास योजना का स्पष्ट उल्लेख है ? | <input type="checkbox"/> |
| 6. क्या मुख्य कार्मिकों-कार्य बल टीम के प्रमुख, कक्षा अध्यापक, कार्यलय स्टाफ तथा छात्रों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ? | <input type="checkbox"/> |
| 7. क्या आपातस्थिति के दौरान तथा उसके बाद छात्रों की सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए स्टाफ के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ? | <input type="checkbox"/> |
| 8. क्या कक्षा V से नीचे की कक्षाओं वाले अधिक असुरक्षित छात्रों पर योजना में जोर दिया गया है ? | <input type="checkbox"/> |
| 9. क्या योजना में छात्रों की विशेष शारीरिक, मानसिक तथा चिकित्सा आवश्यकताओं का समाधान किया गया है ? | <input type="checkbox"/> |
| 10. क्या योजना में यह वर्णन है कि आपदा प्रबंधन टीम को किस तरह प्रशिक्षित किया जाए ? | <input type="checkbox"/> |
| 11. क्या योजना में संचालित किए जाने वाले कृत्रिम अभ्यासों के लिए कलैण्डर की व्यवस्था की गई है ? | <input type="checkbox"/> |
| 12. क्या योजना को स्थानीय पुलिस तथा फायर ब्रिगेड द्वारा पृष्ठांकित किया गया है ? | <input type="checkbox"/> |

नमूना विद्यालय सुरक्षित निकास योजना

